



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 2000/कार्तिक 24, 1922

No. 578]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 2000/KARTIKA 24, 1922

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2000

सा. का.नि. 870(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) (संशोधन) आदेश, 2000 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के खंड 7 में, उपखंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यदि उपखंड (1) के अधीन डीलरों के खुदरा बिक्री केन्द्रों और अन्य कारबार परिसरों को ग्रहण करने का कोई आदेश किया जाता है तो ऐसी अत्यावश्यकता की दशाओं में या ऐसी दशाओं में जहां परिस्थितियां पर्याप्त समय के अभाव के कारण ऐसे डीलर पर, जिसके विरुद्ध आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की तामील करने की अनुमति नहीं देती, पेट्रोलियम उत्पादों की अविरत आपूर्ति बनाए रखने के लिए लोकहित में सुनवाई का अवसर प्रदान करने से अभिमुक्ति दी जा सकेगी”।

[फा. सं. पी.-11013/2/97-(भाग)(वि.)]

नरेश नारद, अपर सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 272(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1999 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

3126 GI/2000

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ORDER

New Delhi, the 15th November, 2000

G.S.R. 870(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) the Central Government hereby makes the following Order to amend the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, namely :—

- (1) This Order may be called the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) (Amendment) Order, 2000.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1999, in clause 7, after sub-clause (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that an order of take over of retail outlets and other business premises of dealers under sub-clause (1) in cases of urgency or in cases where the circumstances do not permit serving of notice for the want of sufficient time upon the dealer, against whom the order is directed, the opportunity of hearing may be dispensed with in the public interest in order to maintain an uninterrupted supply of petroleum products.”

[F. No. P-11013/2/97(Pt.)-Dist]

NARESH NARAD, Addl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India vide No. G.S.R. 272(E) dated 16th April, 1999.